हिमाचल प्रदेश सरकार
उच्चतर शिक्षा विभाग

संख्याः ई0डी0एन0–ए0–क(3)–1/2011 तारीख, शिमला–2 19–05–2011

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2010 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .– (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) नियम, 2011 है ।

(2) ये नियम, राजपत्र हिमाचल प्रदेश में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग) अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 15) अभिप्रेत है;
(ख) "अध्यक्ष" से हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग का अध्यक्ष अभिप्रेत है;
(ग) "उच्चतर शिक्षा विभाग" से हिमाचल प्रदेश उच्चतर शिक्षा विभाग अभिप्रेत है;
(घ) "फीस" से किसी प्राइवेट शिक्षा संस्था/विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापन और अन्य समस्त फीस, संस्थागत निधि, अवधान द्रव्य और छात्रावास प्रभार इत्यादि के रूप में किसी भी नाम के अधीन प्रभारित की गई कुल फीस और निधि अभिप्रेत है;
(ङ) "प्ररूप" से इन नियमों में संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
(च) "सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है;
(छ) "राज्यपाल" से हिमाचल प्रदेश का/की राज्यपाल अभिप्रेत है; और
(ज) "कुल मासिक उपलब्धियों" से सरकार द्वारा समय–समय पर यथा–विनिर्दिष्ट उपलब्धियां अभिप्रेत है;

(2) अन्य समस्त शब्दों और पदो के जो इन नियमों में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं है, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं ।

3. अध्यक्ष और सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें.– (1) अध्यक्ष और सदस्य जो ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे सरकार के क्रमशः प्रधान सचिव और सचिव को समय–समय पर अनुज्ञेय हैं ।

(2) यदि अध्यक्ष या सदस्य इस रूप में नियुक्ति के समय सरकार, किसी स्थानीय निकाय, किसी विश्वविद्यालय या सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी अन्य निकाय से सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो वह पैंशन की राशि (न्यूनीकृत पेंशन के भाग को सम्मिलित करके) घटाकर, यदि कोई हो, और मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के बराबर पेंशन को अपवर्जित करके ऐसी कुल मासिक उपलिब्धयां, जो उसने अन्त में प्राप्त की हो, को प्राप्त करने का हकदार होगा । तथापि वह इसके अतिरिक्त पेंशन की पूरी रकम, यदि कोई हो, आहरित करने का हकदार होगा ।

(3) अध्यक्ष और सदस्य, आयोग के मुख्यालय पर क्रमशः प्रधान सचिव और सचिव को यथा अनुज्ञेय के समान आवास ; यदि सामान्य पूल में उपलब्ध हो, के हकदार होंगे ।

(4) अध्यक्ष और सदस्य कार्यालय और निवास स्थान में एस.टी.डी. सहित दूरभाष प्रसुविधा के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार के क्रमशः प्रधान सचिव और सचिव को तत्समय प्रवृत्त और लागू मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.) की बाबत हिमाचल प्रदेश सरकार के नियमों के अनुसार मकान किराया भत्ते के हकदार होंगे ।

(5) अध्यक्ष और सदस्य ऐसे यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे जैसे सरकार के क्रमशः प्रधान सचिव और सचिव को अनुज्ञेय है ।

(6) अध्यक्ष और सदस्य ऐसी चिकित्सा प्रसुविधाओं अवकाश तथा अवकाश यात्रा सुविधा (एल. टी.सी.) के हकदार होंगे, जैसी सरकार के क्रमशः प्रधान सचिव और सचिव को अनुज्ञेय है ।

(7) सेवा शर्तों से सम्बन्धित किसी अन्य मामले की बाबत जिसके लिए इन नियमों में आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के लिए कोई भी उपबन्ध नहीं है, राज्य सरकार के विशेष आदेशों द्वारा शासित होंगें ।

4. आयोग के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के निबन्धन और शर्तें.– (1) आयोग के कर्मचारिवृन्द में सचिव और अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की ऐसी संख्या सम्मिलित होगी जैसी सरकार समय–समय पर अवधारित करे ।

(2) सचिव, सरकारी सेवा में रत व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार के उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या सरकारी सेवा में शिक्षाविद् होगा जो राजकीय महाविद्यालय के प्रधानाचार्य की पंक्ति के नीचे का न हो, जिसे आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(3) सचिव की सेवा शर्तें वैसी ही होंगी जैसी उसकी सरकार में उसके पैतृक विभाग में है ।

(4) प्रारम्भ में आयोग के कर्मचारिवृन्द सैकण्डमैंट आधार पर या संविदा नियुक्ति के माध्यम से उच्चतर शिक्षा विभाग के विद्यमान कर्मचारिवृन्द के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार भर्ती किए जाएंगे जब तक कि आयोग के परामर्श से और सरकार के अनुमोदन से उनके भर्ती और प्रोन्नति नियम/विनियम बना नहीं दिए जाते ।

5. आयोग के कृत्य.– (1) विनियामक आयोग अधिनियम की धारा 9 में अधिकथित समस्त कृत्यों के साथ–साथ ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो अधिनियम की धारा 9 में अधिकथित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समझे जाएं । आयोग छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया, पाठ्यक्रम तैयार करने, शैक्षिक कलैण्डर, अध्यापन का अच्छा स्तर, पेपर सैट करने, परीक्षाएं संचालित करने, आन्तरिक मूल्यांकन की पद्धति, अंतिम परीक्षा का मूल्यांकन, परीणामों की घोषणा और अधिनियम तथा नियमों के अनुसार उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र प्रदान करने तथा प्राइवेट और सम्बद्ध विश्वविद्यालय को शासित करने के उपबन्ध सुनिश्चित करेगा ।

(2) उच्चतर शिक्षा के प्राइवेट विश्वविद्यालयों और प्राइवेट संस्थानों से सम्बधित ऐसे अन्य मामले जो उप नियम (1) के अधीन नहीं आते हों, राज्य सरकार को निर्दिष्ट किए जाएंगे ।

6. अधिरोपित की जाने वाली शास्ति की रकम.– (1) आयोग अधिनियम की धारा 11 में अधिकथित उपबंधों के अनुसार प्राइवेट शैक्षिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा और न्यूनतम शास्ति निम्न प्रकार से होगी:–

(क) प्रवेश.– यदि छात्र का प्रवेश अधिनियम की धारा 9 के उल्लंघन में किया गया है तो शास्ति, ऐसे छात्र से प्राइवेट शैक्षणिक संस्थान द्वारा प्रभारित की गई वास्तविक फीस की रकम के दोगुना होगी ।

(ख) छात्र से प्रभारित की गई फीस का विचलन.– यदि किसी भी छात्र से जिसे प्रवेश दिया गया है अधिनियम के उपबन्धों के अधीन सरकार/सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत और अनुमोदित रकम से अधिक फीस प्रभारित की गई है तो शास्ति छात्र से विनिर्दिष्ट फीस से अधिक प्रभारित की गई वास्तविक रकम की तीन गुणा होगी ।

(ग) अध्यापकों की अर्हताएं.– यदि नियुक्त किया गया अध्यापक जो विनियामक निकाय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अर्हता परिपूर्ण नहीं करता है तो संस्थान पर ऐसे प्रत्येक (अनर्हित) अध्यापक के लिए बीस हजार रूपए की शास्ति प्रतिमास अधिरोपित की जाएगी ।

(घ) अध्यापकों की कमी.– यदि पाठ्यक्रम के अध्यापन के लिए नियुक्त अध्यापकों की संख्या विनियामक निकाय द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार नहीं है तो संस्थान पर अध्यापक की प्रत्येक कमी के लिए बीस हजार रूपए की शास्ति प्रतिमास अधिरोपित की जाएगी । तीन मास के पश्चात् शास्ति की दर दोगुना होगी ।

(ङ) परीक्षा.– छात्रों को परीक्षा और मूल्यांकन के समुचित संचालन के बिना प्रदान की गई किसी उपाधि/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र के लिए प्रति छात्र पच्चीस लाख रूपए की शास्ति लगाई जाएगी ।

(च) अवसंरचना.– यदि संस्थान की अवसंरचना में विनियामक निकाय या सरकार द्वारा अवसंरचना के लिए नियत सन्नियमों में कमी पाई जाती है तो शास्ति दो लाख

रूपए ऐसे समय तक प्रभारित की जाएगी जब तक कमी पूरी नहीं कर दी जाती है और इसकी अनुपालना रिपोर्ट आयोग को नहीं दी जाती है ।

(छ) **दूरवर्ती शिक्षा पद्धति या विस्तारण केन्द्र.**– यदि शैक्षणिक संस्थान सरकार और विनियामक निकाय के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई दूरवर्ती शिक्षा कार्यक्रम या इसके विस्तारण केन्द्र प्रारम्भ करता है, तो उसके जारी रहने तक, दस लाख रूपए की शास्ति प्रतिमास अधिरोपित की जाएंगी ।

(ज) **समस्त अन्य शेष विवाद्यक और मामले.**– उन अन्य विवाद्यकों पर, जो इस नियम के खण्ड (क) से (छ) के अधीन नहीं आते हैं, अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के किसी प्रकार के उल्लंघन को बढ़ावा देने की दशा में शास्ति, ऐसी दर पर जैसी आयोग द्वारा उचित समझी जाए, अधिरोपित की जाएगी, परन्तु किसी भी दशा में शास्ति अधिनियम में उपबंधित अधिकतम शास्ति से अधिक नहीं होगी ।

(2) आयोग, कोई शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व सम्बद्ध संस्थान को अपना मामला प्रस्तुत करने और प्रतिवाद करने का अवसर प्रदान करेगा और तत्पश्चात् शास्ति अधिरोपित करने के लिए युक्तियुक्त आदेश पारित करेगा ।

(3) आयोग, अधिनियम की धारा 11 के उपबंधों के अनुसार इस नियम के उपनियम (1) के खण्ड (क) से (छ) के अधीन आने वाले किसी भी विवाद्यक और मामले पर अधिकतम शास्ति अधिरोपित करने के लिए सशक्त होगा ।

7. **निधि की संक्रिया.**– (1) धारा–8 के अधीन स्थापित निधि की संक्रिया आयोग द्वारा इसके सचिव या आयोग के पदाभिहित अधिकारी के माध्यम से की जाएगी ।

(2) आयोग नामनिर्दिशित बैंक को, उनकी सूचना और हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था विनियामक आयोग निधि लेखे की संक्रिया के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरी के नमूना हस्ताक्षर उपलब्ध करवाएगा ।

(3) बजट व्यवस्था के अन्तर्गत सरकार द्वारा आबंटित अनुदान या ऋण को आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा निधि से आहरण करने और जमा करने की व्यवस्था की जाएगी ।

(4) आयोग निधि का उपयोग अधिनियम की धारा 9 के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में अपेक्षित व्ययों की पूर्ति के लिए तथा अधिनियम द्वारा प्राधिकृत उद्देश्यों और प्रयोजनों की पूर्ति के लिए भी करेगा ।

(5) प्राप्त समस्त निधियां बैंक/बैंकों में आयोग के लेखे में संदत्त की जाएगी । आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चैक प्रस्तुत करने के सिवाय आहरण नहीं किया जाएगा ।

(6) आयोग का पदाभिहित अधिकारी, आयोग की ओर से प्राप्तियों और संदायों के समुचित संव्यवहार का अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(7) आयोग का पदाभिहित अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि प्रत्यायित बैंकों में जमा किए गए चैकों/मांग ड्राफ्ट की रकम आयोग के लेखे में समय पर जमा की गई है और उनके साथ प्रत्येक तिमाही में प्राप्तियों और संदायों के खातों का मिलान कर दिया गया है ।

8. आदेश/निर्णयों को अधिप्रमाणित करने की पद्धति.– आयोग द्वारा किए गए समस्त आदेशों, निर्णयों और जारी की गई लिखतों को अध्यक्ष, सचिव के हस्ताक्षर द्वारा या आयोग के विनियमों के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

9. वित्त और लेखे .– (1) आयोग अपने लेखों को प्ररूप क, ख और ग में द्विप्रविष्टि प्रणाली के सिद्धान्त पर बनाए रखेगा । आयोग रोकड़ बही, खाता बनाए रखेगा और वार्षिक तुलन–पत्र तथा अन्य ऐसा सुसंगत और अनिवार्य वित्तीय अभिलेख जो विधि द्वारा अपेक्षित हो, तैयार करेगा ।

(2) आयोग के लेखे अध्यक्ष, सचिव और आयोग के आहरण और वितरण अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे ।

10. वार्षिक रिपोर्ट.– आयोग सरकार को, अधिनियम की धारा 13 के उपबंधों के अधीन यथाअपेक्षित आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए प्रपत्र और संरचना में पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान किए गए कियाकलापों के निम्नलिखित सूचक/विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, सही और पूर्ण लेखे देते हुए वार्षिक रिपोर्ट तैयार और प्रस्तुत करेगा:–

(क) प्रस्तावना ।
(ख) आयोग की संरचना ।
(ग) आयोग की भूमिका और उत्तरदायित्व ।
(घ) अधिनियम का कार्यान्वयन और तद्धीन आयोग द्वारा जारी किए गए आदेश ।
(ङ) अधिरोपित शास्तियां और व्यतिकम करने वाले विभिन्न संस्थानों से वसूल की गई रकम ।
(च) अन्य संप्रेक्षण और सिफारिशें ।
(छ) प्राप्तियों और व्ययों को दर्शाते हुए संक्षिप्त में आयोग के लेखे ।
(ज) उपबन्ध ।

11. विशेष प्रयोजन के लिए आयोग के साथ व्यक्तियों का अस्थाई सहयोजन.– (1) आयोग किसी व्यक्ति को अपने साथ सहयोजित कर सकेगा या आमन्त्रित कर सकेगा जिसकी सहायता या परामर्श अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए इसे अपेक्षित हो ।

(2) आयोग की किसी बैठक में भाग लेने के लिए उपनियम (1) के अधीन आयोग द्वारा सहयोजित किए गए या आमन्त्रित किए गए किसी व्यक्ति को आयोग की बैठक में मत देने का अधिकार नहीं होगा ।

(3) उपनियम (1) के अनुसार प्रयोजन के लिए आयोग के साथ सहयोजित किए गए या उस द्वारा आमन्त्रित किए गए किसी व्यक्ति को विनियमों के अनुसार यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता और बैठक फीस/मानदेय संदत्त किया जाएगा ।

12. अपील का अधिकार.– आयोग के आदेश /निर्णय द्वारा व्यथित कोई व्यक्ति हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के समक्ष सिविल रिट याचिका दायर कर सकेगा ।

प्ररूप–क
(नियम 9 देखें)

रोकड़ बही

———————— कार्यालय

टी. आर. 4
[ट्रेजरी रूल 77(1)]

———— मास, 2011

प्राप्तियां

तरीख	प्राप्तियों की संख्या जहां आवश्यक हो	विशिष्टियां	वेतन	भत्ते	आकस्मिकताएं		विविध	कुल	वर्गीकरण
					स्थायी अग्रिम की पूर्ति में	अग्रिम संदाय			

———————— मास, 2011

संदाय

तारीख	उप वाउचर संख्या	विशिष्टियां	वेतन	भत्ते	आकस्मिकताएं		विविध	कुल	वर्गीकरण
					स्थायी अग्रिम में से	संदाय के पूर्वानुमान में आहरण किए गए धन में से			

प्ररूप ख
(नियम 9 देखें)

वित्तीय विवरणीयों (अलाभकारी संगठन) का प्ररूप

संस्था (एन्टिटी) : हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग)

————————— को समाप्त हुई अवधि/वर्ष के लिए समेकित रसीद और संदाय विवरणी

प्राप्तियाँ	रकम (रूपयों में)	संदाय	रकम (रूपयों में)

प्ररूप ग
(नियम 9 देखें)

वित्तीय विवरणियों (अलाभकारी संगठन) का प्ररूप

संस्था (एन्टिटी) : हिमाचल प्रदेश प्राइवेट शिक्षा संस्था (विनियामक आयोग)

---------------- को समाप्त हुई अवधि/वर्ष के लिए तुलनपत्र

समग्र/पूंजीगत निधि और दायित्व	अनुसूची	रकम (रूपयों में)
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
परिसम्पत्तियां		
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		

आदेश द्वारा

प्रधान सचिव (शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।

संख्याः ई0डी0एन0–ए0–क(3)–1/2011 तारीख, शिमला–2 19–05–2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 ।
2. प्रधान सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 ।
3. निजि सचिव, शिक्षा मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–2 ।
4. समस्त प्रधान सचिव/सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार ।
5. सचिव, हिमाचल प्रदेश विधान सभा, शिमला–4 ।
6. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुर शाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली ।
7. रजिस्ट्रार, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, समरहिल, शिमला–4 ।
8. रजिस्ट्रार, यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वाणिकी विश्वविद्यालय, नौणी, जिला सोलन, हि0प्र0 ।
9. रजिस्ट्रार, चौधरी सरवन कुमार कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर, जिला कांगड़ा, हि0प्र0 ।
10. निदेशक, उच्चतर शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1 ।
11. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, हिमाचल प्रदेश, शिमला–1 ।
12. नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 । उनसे अनुरोध है कि इस अधिसूचना को राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित करें, ।
13. संरक्षण नस्ति ।

अतिरिक्त सचिव (उच्चतर शिक्षा)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।